

(2b)

संख्या-893 / XV-1 / 15 / 6(10) / 15

प्रेषक,

डा०रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

9 अक्टूबर

देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2015

पशुपालन अनुभाग-1

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा सं०- 987/2015 विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम तरूला के तोक सिंगलाचूर जनपद अल्मोडा में पशुधन प्रसार केन्द्र की स्थापना की जायेगी के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2430/पशुधन-तीन/मा०मु०मं०घो०/2015-16 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय, भवाली हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी के सृजित 01 पद को विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम तरूला के तोक सिंगलाचूर जनपद अल्मोडा में पशुधन प्रसार केन्द्र की स्थापना हेतु स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


भवदीय,

(डा०रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या-893 (1)/XV-1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल
2. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को उनके पत्र संख्या-u0260/XXXV-4/2015 दिनांक 20.8.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल।
6. गार्ड फाईल।



आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा सं०- 987/2015 विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम तरूला के तोक सिंगलाचूर जनपद अल्मोडा में पशुधन प्रसार केन्द्र की स्थापना की जायेगी के क्रियान्वयन के संबंध

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या- 893 / XV-1 / 6(10) / 2015 दिनांक 9 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्थित पशुचिकित्सालय, भवाली हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी के सृजित 01 पद को विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम तरूला के तोक सिंगलाचूर जनपद अल्मोडा में पशुधन प्रसार केन्द्र की स्थापना हेतु स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

- उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित पशुधन प्रसार केन्द्र के स्थान पर पशु सेवा केन्द्र पढा जाय।
- उक्तांकित शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(दमयन्ती दोहरे)
प्रभारी सचिव

संख्या- 953 (1) / XV-1 / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- जिलाधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल
- अपर सचिव, मुख्यमंत्री को उनके पत्र संख्या- 40260 / XXXV-4 / 2015 दिनांक 20.8.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल
- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल।
- गार्ड फाईल।

लेखी 23/10/2015
[Signature]



आज्ञा से.

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव